क्रम-संख्या—111

रजिस्ट्रेशन नं०–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 24 मई, 2006

ज्येष्ठ 3, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 584/सात-वि०-1–01-(क)20-2006

लखनऊ, 24 मई, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 23 मई, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2006) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2002 की धारा 11 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा 11 में, खण्ड (अट्ठारह) में,–

(क) शब्द "निजी चिकित्सा महाविद्यालय" के स्थान पर शब्द "निजी चिकित्सा महाविद्यालय या किसी ऐसी संस्था, जो परा-चिकित्सीय उपाधि पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान कर रही हो," रख दिये जाएंगे।

(ख) शब्द "ऐसे महाविद्यालय" के स्थान पर शब्द ऐसे महाविद्यालय या संस्था" रख दिये जाएंगे।

उद्देश्य और कारण

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा 11 के खण्ड (अट्ठारह) में प्रदेश के राजकीय या निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है, परन्तु स्नातक स्तरीय पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम के संचालन से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम का संचालन करने वाली संस्थाओं के पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं में एकरूपता बनाए रखने की दृष्टि से पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम का संचालन करने वाली संस्थाओं को भी किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में शासन द्वारा पैरा मेडिकल क्षेत्र में स्नातक स्तर की शिक्षा प्रदान किए जाने की नीति भी निर्धारित की गई है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 के खण्ड (अट्ठारह) को संशोधित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राम हरि विजय त्रिपाठी
प्रमुख सचिव।

No. 584/VII-V-1-1(Ka)20-2006
Dated, Lucknow May 24, 2006

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of the Uttar Pradesh King George Chikitsa Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 23, 2006.

THE UTTAR PRADESH KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2006

(U.P. Act no. 15 of 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh King George's Medical University Act, 2002.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh King George's Medical University (Amendment) Act, 2006.

2. In section 11 of the Uttar Pradesh King George's Medical University Act 2002, in clause (xviii):— Amendment of section 11 of U.P. Act no. 8 of 2002

(a) for the words "Private Medical College" the words "Private Medical College or any such institution as is imparting education in para Medical Degree Courses" shall be *substituted;*

(b) for the words "such college" the words 'such college or institution" shall be *substituted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Clause (xviii) of section 11 of the King George's Medical University Act, 2002 provides for granting affiliation to Government or Private Medical Colleges of the State by the King George's Medical University but there is no provision for granting affiliation to the institutions conducting para-medical courses of graduation level. In view of maintaining uniformity in courses and examinations of the institutions conducting para-medical courses it is necessary to affiliate the institutions conducting para-medical courses to the King George's Medical University. At present the policy of imparting education in the field of para-medical courses of graduation level has been formulated by the Government. It has, therefore, been decided to amend clause (xviii) of section 11 of the said Act to make the provisions as aforesaid.

The Uttar Pradesh King George's Medical University (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,

RAM HARI VIJAY TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 232 राजपत्र (हि०)—(353)—2006—597 प्रतियां—(आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 36 सा० विधायिका—(354)—2006—850 प्रतियां—(आफसेट)।